

## देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्ता या समुचित सरकार

-: अधिघोषणा :-

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)  
 अधिघोषणा संख्या 1066 / भू अं० दिनांक 15/9/2020

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना- सिकिटिया (बवनगामा-पथरौल पथ पर) से शामलपुर- बोचबांध- डुबा- बनवरिया- जियाखारा-मनीगढ़ी (सारठ-देवघर पथ एन०एच० 114ए पर) पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण परियोजना हेतु ग्राम-दासडीह, थाना-सारवाँ, थाना सं०-157, अंचल-सारवाँ, जिला-देवघर के कुल-0.44 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.44 एकड़ है और जो ग्राम-दासडीह, थाना-सारवाँ, थाना सं०-157, अंचल-सारवाँ, जिला-देवघर में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क. सं.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	9	160	रैयती	बाड़ी-2	0.02	गोविन्द कुमारी जौजे कोदो राय (ज० रै०)	बनवरिया-159	तुम्बो जमनी-10	तारा जोर नं०-127	अर्जीत रकवा का अंश
2	9	162	रैयती	धानी-2	0.02	तथैव।				
3	14 क	115/392	रैयती	बाड़ी-2	0.07	नन्द किशोर साही पे० झमल साही वो बैजनाथ साही वो विजय साही पे० अम्बिका साही अंश समान सा० देह।				
4	14 क	159	रैयती	बाड़ी-2	0.08	तथैव।				
5	14 क	170	रैयती	बाड़ी-2	0.09	तथैव।				
6	14 क	361/382	रैयती	बाड़ी-2	0.03	तथैव।				
7	21	111	रैयती	बाड़ी-2	0.01	भोट राय बल्द मनु राय (ज० रै०)				
8	22	168	रैयती	बाड़ी-2	0.02	भालू राय वो फेकन राय वो महेन्द्र राय पे० टिकेत राय अंश समान सा० देह।				
9	25	115/391	रैयती	बाड़ी-2	0.03	रामस्वरूप शाही (प्रधान) पे० बट्टी साही इंदिरा देव्या पति राजकिशोर साही व गंगाधर शाही पे० शिरोमणी साही वो जितेन्द्र साही पे० श्यामसुन्दर साही वो अभिमन्यु साही वो सुनील साही पे० शारदा शाही वो चन्द्रशेखर साही वो धिरेन शाही पे० कृष्ण साही अंश समान सा० देह।				
10	25	363	रैयती	बाड़ी-2	0.02	तथैव।				
11	27 क	115	रैयती	बाड़ी-2	0.05	नटवर साही वो उत्तम कुमार साही वो गोतम प्र० साही पे० साधु शरण साही अंश समान सा० देह।				
कुल रकवा-					0.44					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपतियों के सुनने और अधिनियम 30-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :

ग्राम .....X ..... थाना ..... X ..... थाना संख्या ..... X ..... अंचल ..... X ..... जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी ..... X ..... के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी  
देवघर  
9/9/20

अपर समाहर्ता  
देवघर

समाहर्ता सह-उपायुक्त,  
देवघर।

ज्ञापांक 1066 / भू अ०, देवघर, दिनांक 15/9/2020

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारवां को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी  
देवघर  
9/9/20

अपर समाहर्ता  
देवघर

समाहर्ता सह-उपायुक्त,  
देवघर।